

सेवा मे

1702

माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ।

विषय - प्रार्थी द्वारा जबसे आपके न्यायलय में केस नंबर 556/2023 किया गया उसके बाद से ही उसपर आपके द्वारा न्याय पूर्ण जाँच कराये जाने के प्रयास से बौखलाये अभियुक्तगणों -यूपीडा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रशासन, जिला प्रशासन, ठेकेदार -गॉवर कम्पनी द्वारा पुलिए प्रशासन के सहयोग से व अन्य तरीकों से जबरन समझौता का दवाव बनाये जाने समझौता ना करने पर प्रार्थी व परिवार को जान से मारने की लगातार धमकियां, व हत्या की कोशिस किये जाने से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा हेतु केंद्रीय ऐजेंसी-से सुरक्षा का आदेश पारित करने के सम्बन्ध में।,

मान्यवर

आपसे निवेदन करना है कि प्रार्थी एक सामाजिक कार्य कर्ता व राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन NHRO का चेयरमेन होने के नाते से पर्यावरण के वाचाओ हेतु तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर्ता हैं, जिसके चलते जब से प्रार्थी ने माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण न्यायालय में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे द्वारा किए गए अवैध मिट्टी खनन वह अत्यधिक गहराई से किए गए मिट्टी खनन का केस दर्ज कराया है तब से उक्त लोगों द्वारा समझौता करने के लिए लगातार दवाव बनाया जा रहा है जिसमें प्रार्थी लगातार समझौता से इंकार करता चला आ रहा है जिससे वैखलाये उक्त अभियुक्तगणों द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने व प्रशासन के सहयोग से फर्जी केस में जेल भेजने की कोशिस की जा रही है,, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने पूर्व में की गई सुनवाई में भी की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अवैध तरीके से दिनांक -21-02-2024 को रात्रि लगभग 9बजे पुलिस की गढ़िया भेजी गई लेकिन प्रार्थी मौजूद ना होने पर पुलिस नाकाम रही, जिसके बारे में प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक से cug नंबर पर बात हुई जिसमें किसी घटना का होना पूछा गया तो अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका,, उक्त लोगों द्वारा आज भी प्रार्थी की बराबर रेकी की जा रही है जिसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के ठेकेदार गावर कंपनी ने प्रार्थी के आवास से पहले ही अपना प्लांट लगा दिया जिसके कारण प्रार्थी को आपने आवास में रहने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,, कई बार प्रार्थी को मशीनों द्वारा ऐक्सीडेंट के द्वारा हत्या कराये जाने की भी कोशिस की जा चुकी है,, उक्त कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रात्रि में 11 बजे के बाद कई बार दरवाजा खटखटाया जाता है -जिससे प्रार्थी के परिवार में काफी भय ब्याप्त हो चुका है, और भयभीत हैं,, तथा उक्त प्लांट से भी काफी प्रदुषण फैलाया जाता है जिसको मौके पर देखा जा सकता है, अगर प्रार्थी व परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार गॉवर कम्पनी के मालिक, के साथ जिलाधिकारी जालौन, पुलिस अधीक्षक जालौन, यूपीडा के महा प्रबंधक, सम्बंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानकर उकने ऊपर कानूनी कार्यवाही कर उचित मुयब्ज़ा दिलाया जाये,.

अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की जान माल की रक्षा सुरक्षा करने हेतु पर्याप्त निशुल्क केंद्रीय ऐजेंसी की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित करने की कृपा करें, तो आपकी अति कृपा होगी,,

दिनांक - 27-11-2024

प्रार्थी/बादी

अरुण तिवारी

अरुण तिवारी /अरुण कुमार पुत्र स्व० श्याम बिहारी,  
निवासी -ग्राम-नरछा, पोस्ट-नुनसाई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश  
पिनकोड -285001, मो0 नंबर -972160855